3231

संख्याः /XVIII(II)/2013–1(24)/2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
संचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 18 अप्रैल, 2013

विषयः–जय प्रकाश सेवा संस्थान, नई दिल्ली को ग्राम अम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में शैक्षिक प्रयोजनार्थ (जे0पी0 विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु कुल 4.6775 है0 भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–748/12ए–44(2011–2014) डी0एल0आर0सी0 दि0–11.2.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जय प्रकाश सेवा संस्थान, नई दिल्ली को ग्राम अम्बाड़ी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में शैक्षिक प्रयोजनार्थ (जे0पी0 विश्वविद्यालय की स्थापना) हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत एवं उच्च शिक्षा विभाग एवं आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अभिमत/अनापत्ति के दृष्टिगत आपके द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुत खसरा संख्या 2/1.7600 है0, 66क/0.1950 है0, 66घ/0.7690 है0, 106क मि/1.8545 है0 एवं 107/0.0990 है0 कुल 4.6775 है0 भूमि कय किये जाने की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता, धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन, शैक्षिक प्रयोजन (जे0पी0 विश्वविद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

.....2

18– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0–538 /XVIII(II)/2013–1(24)/2012/समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5. जय प्रकाश सेवा संस्थान, 63 बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली 110057
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।